



**PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION
OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)**

IS THERE CORRUPTION AROUND YOU? LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI.

**YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT
CONFIDENTIAL**

A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE

**SEND COMPLAINTS IN WRITING TO:
The Secretary, Central Vigilance Commission
Satarkta Bhavan , Block-A
GPO Complex , INA
New Delhi - 110 023**

**(MARK THE ENVELOPE AS "PIDPI". COMPLAINTS SHOULD ONLY BE
AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs
AND UTs etc.)**

PIDPI COMPLAINTS: WHAT ARE THEY? & WHEN SHOULD YOU MAKE THEM?



1

Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution are termed as PIDPI complaints

2

If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential

3

The complaint should be addressed to the Secretary, Central Vigilance Commission and envelope should be marked as "PIDPI"

4

Only complaints against Central Government officials (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance

5

For more details visit
<http://www.cvc.gov.in>

**A VIGILANCE AWARENESS WEEK
2021 INITIATIVE**

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण
संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)



क्या आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है? लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण के अंतर्गत शिकायत दर्ज करें।

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 - एक पहल

लिखित में शिकायत यहाँ भेजें:
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए
नई दिल्ली - 110023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें, केंद्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शासित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के विरुद्ध ही होनी चाहिए)

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण शिकायतें: क्या हैं ? आप कब कर सकते हैं ?



1

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों को 'पीआईडीपीआई' शिकायतें कहा जाता है।

2

यदि कोई शिकायत 'पीआईडीपीआई' के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

3

शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखा होना चाहिए।

4

केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित प्रदेशों सहित) के विरुद्ध की गई शिकायतों ही पर संज्ञान लिया जाएगा।

5

अधिक जानकारी के लिए
<http://www.cvc.gov.in> देखें।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2021
एक पहल